Circular Ref No. DICGC.CSD/ **1006**/ 05.02.447/ 2020-21 dated December 31, 2020
परिपत्र संदर्भ संख्या नि.बि.प्र.गा.नि. दा.नि.वि./ **1006**/ 05.02.447/ 2020-21 दिनांक 31 दिसम्बर 2020

To CEOs / MDs / Chairmen / Officer-in-Charges
[All Insured Banks under All Inclusive Direction u/s 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act 1949 (AACS)]

मु.का.अधि./ प्र. नि./ अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी
[बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35A के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत समावेशी दिशानिर्देश के तहत सभी बीमित बैंक]

Madam/Dear Sir

महोदया/महोदय

Compliance with KYC requirements by all insured banks

सभी बीमित बैंकों द्वारा के.वाई.सी अपेक्षाओं का अनुपालन

In terms of Section 17(1) of the DICGC Act, 1961, when an insured bank is ordered to be wound up or liquidated, the liquidator is required to submit a claim list to DICGC in the prescribed format within three months of assuming charge. Thereafter, in terms of Section 18(1) of the DICGC Act, DICGC is required to settle deposit insurance claims within two months from the date of receipt of the claim list from liquidator. However, due to non-availability of proper KYC data / records of the eligible depositors of the de-registered banks, the claim-list preparation becomes difficult resulting in delay in settlement of deposit insurance claims.

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) के अनुसार जब किसी बीमित बैंक के परिसमापन का आदेश दिया जाता है, तो परिसमापक द्वारा कार्यभार संभालने के तीन महीने के भीतर निर्धारित प्रारूप में डीआईसीजीसी को दावा सूची प्रस्तुत की जानी होती है। तत्पश्चात, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18 (1) के अनुसार डीआईसीजीसी को परिसमापक से दावा सूची मिलने की तारीख से दो महीने के भीतर जमा बीमा दावों का निपटारा करना होता है। तथापि, विपंजीकृत बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं के उचित केवाईसी आंकड़े/अभिलेख उपलब्ध ना होने के कारण दावा-सूची तैयार करना कठिन हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप जमा बीमा दावों के निपटान में विलंब होता है।

2. In order to ensure compliance to KYC requirements, we have put in the following compliance requirements for AID banks:

2. के.वाई. सी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, समावेशी दिशानिर्देश के तहत सभी बीमित बैंकों से निम्नलिखित नियमों का अनुपालन अपेक्षित हैं :

a. in terms of our circular DICGC.1307.CSD/ 05.02.278/2017-18 dated July 12, 2017, the insured banks were advised to maintain up to date data on their liabilities towards eligible depositors in a particular format [i.e. Single Customer View data (SCV)] and the banks placed under All Inclusive Direction u/s 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act 1949 (AACS) are required to submit such data to DICGC every year. Further, in terms of Section 35(1) of DICGC Act, DICGC is empowered to access above-said records to ensure proper compliance.

क. दिनांक 12 जुलाई के, 2017 हमारे परिपत्र डीआईसीजीसी.1307.सीएसडी/05.02.278/2017-18, द्वारा बीमित बैंकों को सूचित किया गया था कि वे पात्र जमाकर्ताओं के प्रति अपनी देनदारियों के बारे में अद्यतन डेटा विशेष प्रारूप (अर्थात एस. सी. वी. डेटा प्रारूप) में रखें और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (ए.ए.सी.एस) की धारा 35A एवं 56 के अनुसार सभी ए.आई.डी बैंक हर साल डीआईसीजीसी को उपरोक्त डेटा प्रस्तुत आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 35 (1) के अंतर्गत उचित अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु नि.बि.प्र.गा.नि. को उपरोक्त रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार है।

b. All the banks are required to comply with RBI's Know Your Customer (KYC) Guidelines - Unique Customer Identification Code (UCIC) for banks' customers in India (ref. Circular No. RBI/2011-12/594 dated June 08, 2012 for all SCBs (excluding RRBs) / LABs / AIFIs and Circular No. RBI/2012-13/235 dated October 9, 2012 for All Primary (Urban) Co-operative Banks).

ख. सभी बैंकों को भा. रि. बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों - भारत में बैंकों के ग्राहकों के लिए अद्वितीय ग्राहक पहचान कोड (यूआईसीआईसी) का अनुपालन आवश्यक है (संदर्भ सभी अनु. वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)/ एलएबी/ ए.आई.एफ़आई के लिए दिनांक 08 जून, 2012 का परिपत्र सं. भारतीय रिजर्व बैंक/2011-12/594 और सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 का परिपत्र संख्या भारतीय रिजर्व बैंक/2012-13/235 का अनुपालन आवश्यक है।

c. the insured banks are required to complete their Statutory Audit as at the close of financial year by 30th September every year wherein aggregate deposit liabilities towards all eligible depositors should tally with the total deposit liabilities (i.e. assessable deposits) as per the balance sheet.

ग. सभी बीमित बैंक हर वित्तीय वर्ष के अंत की अपनी सांविधिक लेखा परीक्षा 30 सितंबर तक अवश्य पूरी करें जिसमें सभी पात्र जमाकर्ताओं के लिए कुल जमा देनदारियों का मिलान तुलना पत्र के अनुसार कुल जमा देनदारियों (अर्थात निर्धारणीय जमाराशि) के साथ होना चाहिए ।

You are advised to strictly comply with above-said requirements, for which, we will be following up periodically with your bank for a certificate along with your DI return.

आपको सूचित किया जाता है कि आप उपर्युक्त अपेक्षाओं का सख्ती से पालन करें। आपके जमा बीमा रिटर्न के साथ इन अपेक्षाओं के संबंध में प्रमाण पत्र के लिए हम आपके बैंक के साथ सावधिक रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करते रहेंगे।

भवदीय

ह/-

(वी. जी. वेंकट चलपथी/ V. G. Venkata Chalapathy)
मुख्य महाप्रबंधक/ Chief General Manager

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008
दूरभाष : 022-23069675 फैक्स: 022-2301 8165, 2301 5662, 2302 1131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008
Tel: 022-2301 9675 Fax: 022-2301 8165, 2301 5662, 2302 1131, mail: dicgc@rbi.org.in